

पत्र संख्या  
दिनांक  
संख्या

दिनांक 08/06/2009

47/007-CHA/6694

जो संयुक्त (वन),  
हिमाचल प्रदेश सरकार,  
वी. विभाग  
सालोनी

Diversion of 4.20 hectare of forest land in favour of HPPWD for construction of Dharunda to  
Kulhad road (Kms. 0/00 to 8/00) within the jurisdiction of Forest Division & District Chamra,  
Himachal Pradesh.

संख्या उपयुक्त विषय से संबंधित अपन पत्र संख्या ~~FFCB-112~~ 108/2007 दिनांक 14/10/2007 आदि  
संख्या ~~FF-48-1414/2006~~ (FCA) दिनांक 25-7-2008 का अंशलांकन करे, जिसमें वन (संख्या 01)  
दिनांक 19/05/2007 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है।

राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के फलस्वरूप निम्नलिखित शर्त पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-  
4.20 हेक्टेयर वन 27 दि

पर्याय एजेसी से स्कीम अनुसार प्रतिपूर्ति पंथासंयोजन की शर्तों जमा कराई जाये।  
सालोनी उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन  
मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-1/98-FC (Part-II) दिनांक 11.08.2003 के  
अनुसार पर्याय एजेसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजाई पैट्ट जमा कराई जाये

उपरोक्त शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ताकि आम की कार्यवाही को जा सक। केन्द्रीय सरकार  
की अनुमति दिये जाने तक कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिये।

भवदीय

(श्री सुभाष चन्द्र)  
वन संरक्षण अधिकारी

आचार्य मुख्य वन संरक्षक, हिमाचल प्रदेश सरकार, जालंधर, जिला।  
पर्याय वन अधिदेशक (FC), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्याय वन, सी. पी. ओ. जालंधर, जिला,  
जालंधर नई दिल्ली।  
Regional Forest Officer, Forest Division & Distt. Chamra, Himachal Pradesh.  
Executive Engineer, Salooni Division, HPPWD Salooni, Distt. Chamra, Himachal Pradesh.  
डा. फाइल।

Paid note Cheque No. 8/1267 dt 6/09  
Rs. 26,41,720/- only. N.R.V.

संख्या 13975  
दिनांक 27/8/08